फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

राकेश सिंह बनाम नारायण सिंह

केस संख्या 03/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
08.02.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित है। पत्रावली के एडमीशन पर अपीलार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 112/2019 ब उनवानी नारायण सिंह बनाम राजेश सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2021 के विरूद्व यह अपील पेश की है। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 16 में अधिकरण के आदेश से व्यथित वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक को ही अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। यह अपील प्रत्यर्थी वरिष्ठ नागरिक नारायण सिंह के पुत्र द्वारा पेश की गई है। फलस्वरूप प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से एडमीशन पर ही खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो। (राजन विशाल) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	